संख्या– 4650 /96–आयुष–1–2019–255 / 2019

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

आयुष अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2019

विषय–शैक्षणिक सत्र 2019–20 हेतु बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में।

महोदय,

नीट यू0जी0, 2019 की मेरिट सूची के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2019–20 में प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में बी0ए0एम0एस0 / बी0यू0एम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के संबंध में शासनादेश संख्या–4468(1) / 96–आयुष–1–2019–255 / 2019, दिनांक 13.08.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत् समय सारिणी निर्धारित की गयी है:–

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि	22.08.2019 से 31.08.2019
ऑनलाइन विकल्प भरने की तिथि	31.08.2019 से 02.09.2019
प्रथम चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन	05.09.2019
प्रथम चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट का सत्यापन	09.09.2019 से 12.09.2019
द्वितीय चरण की काउंसिलिग के माध्यम से सीट आवंटन	17.09.2019
द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट का सत्यापन	21.09.2019 से 23.09.2019
मॉप–अप राउण्ड काउंसिलिग हेतु रजिस्ट्रेशन की तिथि	21.09.2019 से 25.09.2019
मॉप–अप राउण्ड काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	28.09.2019 से 30.09.2019

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निशक्त जन अधिनियम–2016 में 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का प्राविधान किया गया है। अतएव दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जांच हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (के0जी0एम0यू0) लखनऊ में दिनांक 03.09.2019 एवं 04.09.2019 तथा दिनांक 17.09.2019 एवं 18.09.2019 को मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त्।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।

v-ayu-draft